राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 655/2011/जोधपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत–'ई', जोधपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स चुन्नीलाल भंवरलाल राठी,
स्टेशन रोड, लोहावट .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 16.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अर्न्तगत आरोपित कर व ब्याज को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वितिय वर्ष 2006–07 में मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, फलौदी जो कि वृत–बी वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर में पंजीकृत फर्म थी उससे माल की खरीद की जाकर उसके बिलों में दर्शाई गई कर राशि को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रुप में क्लेम किया गया था परन्तु मैसर्स पंकज ट्रेडर्स द्वारा जो संव्यवहार किये गये थे वे विभाग द्वारा मिथ्या पाये जाने से उस फर्म द्वारा जारी बिलों के आधार पर क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार किया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मैसर्स पंकज टेड्रर्स फलौदी का कर निर्धारण भी किया जा चुका था एवं उसकी बिक्री पर कर व ब्याज आरोपित कर मांग सृजित की जा चुकी थी ऐसी स्थिति में उक्त क्रेता व्यवसायी के क्लेम को अस्वीकृत करने पर प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि क्रेता व्यवसायी के पास विक्रेताओं द्वारा जारी विधिसम्मत बिल होने से आई.टी.सी का क्लेम देय होगा एवं रिवर्स किये गये क्लेम रुपये 71,486/– एवं ब्याज रुपये 21,446/– को अपास्त किया गया है जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

लगातार.....2

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य कर निर्धारण आदेश में अंकित किया गया है कि मैसर्स पंकज टैडर्स का पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त किया जा चुका है क्योंकि पंकज ट्रेडर्स द्वारा माल की खरीद बोगस बिलों से किया जाना दर्शाया गया था अतः उस आधार पर क्रेता व्यवसायी को आईटीसी का क्लेम स्वीकृत योग्य नहीं है। कर निर्धारण आदेश में अधिनियम की धारा 18(2) में दिनांक 08.09.2008 से संशोधन हो जाने का हवाला देते हुये, विक्रेता द्वारा दर्शाई गई एवं संग्रहित कर राशि जमा नहीं होने के आधार पर क्रेता से क्लेम को निरस्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील इस आधार पर स्वीकार की गई है कि व्यवहारी के पास मूल वैट इनवाईस उपलब्ध है अतः आई.टी.सी रिवर्स नहीं की जा सकती है। राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा कोई कर जमा नहीं कराया गया था अतः उस आई.टी.सी का क्लेम दिया जाना अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के विपरीत है। यह प्रकरण वर्ष 2006–07 से संबंधित है एवं इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी के पास उपलब्ध वैट इनवाईस को मिथ्या या बोगस नहीं बताया है बल्कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा किये गये संव्यवहारों को बोगस मानते हुये एवं उसके पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आधार पर आई.टी.सी अस्वीकार की गई है जबकि मैसर्स पंकज ट्रेडर्स के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसके बिक्री संव्यवहार को सहीं मानते हुये उसके विरुद्ध कर एवं ब्याज आरोपित करते हुये मांग सृजित की जा चुकी है। ऐसी स्थिती में अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य